INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

भारतीय संविधान

डॉ. गौरव देशमुख डॉ. राजेश मारकण्डेय

प्रस्तावना – प्रत्येक देश के संविधान के प्रारम्भ में इसकी प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान के उद्देश्य एवं लक्ष्य स्पष्ट होते हैं प्रस्तावना मे ही सविधान के आदर्श एवं आकांक्षाए निहित होती हैं डॉ.सुभास कश्यप के अनुसार संविधान राष्ट्र का मूलभूत अधिनियम हैं । वह राज्य के विभिन्न अंगो का गठन कर उन्हे शरीर देता हैं शक्ति देता हैं उसके शारीरिक गठन के पीछे अंगो की व्यवस्था के पीछे एक प्रेरणा होती हैं एक आत्मा होती हैं जिसका शब्द रूप मिलता हैं भारतीय संविधान के प्रारंभ में भी एक प्रस्तावना जुडी हुई हैं जिसे सम्पुर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का एक संक्षिप्त एंव सारगर्भित घोषणा पत्र भी कहा जा सकता है।

42 वे संविधान संशोधन के पूर्व भारतीय सविधान की प्रस्तावना

इस भारत के लोग भारत को एक सम्पुर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को समाजिक आर्थिक और न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वांस धर्म और उपसाना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्ता कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रकी एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुत बढाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनाँक 26 नवम्बर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिती की सिफारिश पर संविधान की इस मूल प्रस्तावना में 42 वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्म निरपेक्ष शब्द जाडे गये एकता के साथ अखण्डता शब्द और जोड कर भारतीय संविधान कों और अधिक स्पष्ट कर दिया गया ।

42 वें सविधान संशोधन के अनुखार भारतीर संविधान की प्रस्तावन

हम भारत के लोग भारत को एक प्रभत्व सम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने क लिए तथा उसके समस्त नागरिकों कों समाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वांस धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनाँक 26 नवम्बर 1949 (निती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस सविधान को अंगीकृत अधिनियमियत और आत्मार्पित करते है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख व तत्व

- हम भारत के लोग प्रस्तावना मे ंहम भारत कें लोग संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।

वाक्य मे तीन बाते स्पष्ट होती है।

(1) प्रथम सविधान द्वारा अन्तिम सम्प्रभुता भारतीय जनता में निहित की गयी हैं।

(2)द्वितीय संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है।

(3) तृतीय भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है तथा भारतीय जनता ने ही इसे देश कों समर्पित किया हैं।

(2) सम्पुर्ण प्रभुत्व सम्पन्न प्रस्तावना में भारत कों सम्पुर्ण प्रभुत्वसम्पन्न घोषित किया गया है जिसका अर्थ यह है कि आन्तरिक या बाह्य दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का कोई अधिकार नही हैं और भारत वैदेशिक क्षेत्रो में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है वह किसी भी देश से संन्धि या समझौता करने के लिए बाध्य नही हैं।

(3) समाजवादी राज्य यद्यपि संविधान सभा में ही कुछ सदस्यो द्वारा भारत को एक समाजवादी राज्य घाषित किये जाने पर बल दिया गया था परन्तु सभा के अधिकसंख्यक सदस्यो ने यह मत व्यक्त किया था कि संविधान कों किसी एक दर्शन विशेष से जोडकर उसे विवाद का विषय बनाया जाना उचित नही होगा अतः मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नही जोडा गया परन्तु 1976 में तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा यह अनुभव किया गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नयी दिशा दिया जाना अति आवश्यक है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति संविधान कें 42 वे संविधान 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोडकर भारत के एक समाजवादी राज्य घाषित किया गया ।

(4) धर्म निरपेक्ष (पथनिरपेक्ष) राज्य –

संविधान के 42 वें संशोधन 1976 के पुर्व तक संविधान की प्रस्तावण में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नही था 42 वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में इस शब्द को जोडकर भारत की धर्म निरपेक्षता को बल प्रदान किया गया हैं। धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ सह हैं कि भारत राज्य धर्म के विषय में पूर्णतः तटस्थ देश के समस्त नागरिकों किसी भी धर्म को अबाध गति से मानने उसका प्रचार प्रसार करने और उसके अनुसार उपासना (पुजा पाठ) करने की पुर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। राज्य न तो किसी धर्म को प्रोत्साहन देगा और न धार्मिक नितियो में हस्तक्षेप करेगाा। सविधान का उद्देश्य भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करना है इस लिए भारत का कोई अपना राज्य धर्म घोषित नही किया गया हैं। सभी धर्मो को समान रूप से सम्मान दिया जाता है।

(5) लोकतंत्र गणराज्य :– प्रस्तावन में भारत को समाजवादी लोकतंन्त्रातक गणराज्य घोषित किया गया हैं जिसका अर्थ यह है कि शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित हैं परन्तु जनता अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्येक्ष रूप से स्वयं न करके अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियो के माध्यम से करती हैं। भारत में लोकतंत्र इसीलिए हैं क्योकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के पद पर निर्धारित योग्यताधारी देशा का कोई भी नागरिक निर्वाचित हो सकता है।

(6) स्वतंत्रता समानता और बन्धुत्व :– स्वतंत्रता और समानता और बन्धुत्व को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ देश के प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक और

राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करना है। समानता का अर्थ देश के नागरिको को उनकी उन्नति एवं विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्यक क्षेंत्रो में समान अवसर प्रदान करना हैं। और बन्धुत्व का अर्थ देश के समस्त नागरिकों में भाईचारे का विकास करना हैं ।

(7) राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक न्याय :–
प्रस्तावना से स्पष्ट है कि राज्य का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या कुछ लोगों की भलाई करना न होकर समस्त नागरिकों कीं भलाई करना है इसलिए समस्ता नागरिकों के लिए राजनीतिक समाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधान किये गये है । तथा इस उद्देश्य की पुर्ति हेतु नागरिकों कों विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किये गये है

(8) दश की अखण्डता :– भारतीय संविधान देश की एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखने के लिए कृत संकल्प है। इसलिए 42 वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा संविधान की प्रस्तावना में एकता के साथ अखण्डता शब्द और जोडा गया हैं देश की एकता और अखण्डता सुरक्षित रहने पर राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा

भारतीय संविधान के स्रोत :– भारतिय संविधान निर्माजी सभा ने आदर्श संविधान के निर्माण के स्थान पर एक व्यावहारिक संविधान के निमार्ण का प्रयास किया गया संविधान निर्माताओं नें शासक एवं विधान के बुनियादी सिध्दान्तो को विश्व के संविधान से आयातित किया तथा उन्हे भारतीय आवश्यकता परिस्थितियो के अनुकूल ढालकर भारतीय संविधान में स्थान दिया।

भारतीय के स्त्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हैं।

(1) जन्म संबंधी स्त्रोत :–
जन्म संबंधी स्त्रोतों का तात्पर्य उन स्त्रोतो से है (विदेशी या देशी) जिनकी सहायता भारतीय संविधान निर्माण के समय ली गई ।

विदेशी स्त्रोत
(1) ब्रिटिश संविधान :–
ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण ब्रिटिश राजनीति जीवन एवं राजनीति व्यवस्था से भारत का लंबा सम्पर्क रहा । इसके कारण भारतीय चिंतन व्यवस्था एंव संविधान पर भी ब्रिटिश संविधान का असर एवं प्रभाव पडा । भारत में संसदीय शासन प्रणानी कानून का शासन एकीकृत न्यायिक व्यवस्था 000 नागरिकता नौकरशाही जैसे तत्वो को अपनाया ।
(2) अमेरिकी संविधान :– भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रावधान पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है।
(3) आयरलैंड का संविधान – राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है।

(4) कनाडा का संविधान – भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था, भारतीय संघ की यूनियन तथा केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करने के पीछे आयरलैंड के संविधान की व्यवस्था प्रेरणास्त्रोत रही है।

(5)जापान का संविधान – भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रकिया जापान के संविधान से अपनाई गई है।

(6) आस्ट्रेलिया का संविधान – केन्द्रीय एव इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन में समवर्ती सूची की व्यवस्था आस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं।

(7) दक्षिण अफ्रीका का संविधान – भारतीय संविधान में संसोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका संविधान से अपनाई गई है।

(8) देशी स्त्रोत – भारतीय संविधान पर देशी स्त्रोतों से 1928 को नेहरू रिपार्ट तथा 1935 के भारतीय शासन अधिनियम और भारतीय संविधान 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पडा है।

(2) विकास संबंधी स्त्रोत – विकास संबंधी स्त्रोत वे स्त्रोत है जिन्होंने 1950 से 2007 के वर्षों में भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन् 1950 में जो संविधान बना एवं लागू हूआ था, आज उसके स्वरूप में काफी विचार एवं परिवर्तन हुआ है। संवैधानिक संशोधनों, अभिसीमाओं एवं परम्पराओं, संविधियों नियमों एवे अध्यादेशों तथा न्यायिक निर्णयों तथा न्यायिक पुनर्विलोकन तथा संवैधानिक टीकाओं तथा संविधान विशेषज्ञों के विचारों ने भारतीय संविधान को काफी प्रभावित किया है।

संदर्भग्रंथ सूची –

(1) डॉ. एस.बी.कुमार, के.सी.सक्सेना 'राजनीति विज्ञान' युग बोध प्रकाशन, समता कालोनी रायपुर

(2) गिरवर सिंह 'भारत में पंचायती राज' पंचशील प्रकाशन जयपुर 2004

(3) दुर्गादास बसु 'भारत का संविधान एक परिचय' वाधवा एण्ड कम्पनी नागपुर 2005

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA

Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM